न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 34/2016

अनवान :–

श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर जोन, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

1 श्री गेनाराम पुत्र श्री कानाराम जाट जाति गाट(जाट) (विक्रेता) मैसर्सः गाट जनरल स्टोर, जस्सुसर गेट के बाहर, बीकानेर– निवासी करमीसर, वार्ड नं. 16 बीकानेर

2 श्री रामरख पुत्र श्री कानाराम जाट जाति गाट(जाट) (विक्रेता) मैसर्सः गाट जनरल स्टोर, जस्सुसर गेट के बाहर, बीकानेर– निवासी सुनारो का मोहल्ला, करमीसर बीकानेर

3 श्री रावतमल सांचेती(भागीदार) मैसर्सः महावीर ट्रेडिंग कम्पनी, 34 नई अनाज मण्डी,बीकानेर (फड़बाजार बीकानेर) – निवासी पुरानी लाईन, गंगाशहर, बीकानेर

4 श्री अमरचन्द सेठिया पुत्र श्री रेखचन्द सेठिया(भागीदार) मैसर्सः महावीर ट्रेडिंग कम्पनी, 34 नई अनाज मण्डी,बीकानेर (फड़बाजार बीकानेर) – निवासी पुरानी लाईन, गंगाशहर, बीकानेर

5 श्री शिखरचन्द सेठिया (भागीदार) मैसर्सः महावीर ट्रेडिंग कम्पनी, 34 नई अनाज मण्डी,बीकानेर (फड़बाजार बीकानेर) – निवासी पुरानी लाईन, गंगाशहर, बीकानेर

6 श्री सुशील कुमार (भागीदार) मैसर्सः महावीर ट्रेडिंग कम्पनी, 34 नई अनाज मण्डी,बीकानेर (फड़बाजार बीकानेर) – निवासी पुरानी लाईन, गंगाशहर, बीकानेर

7 मैसर्सः महावीर ट्रेडिंग कम्पनी, 34 नई अनाज मण्डी,बीकानेर (फड़बाजार बीकानेर) (थोक विक्रेता फर्म)

8 श्री कृष्ण अग्रवाल पुत्र श्री सोमनाथ अग्रवाल (भागीदार निर्माता फर्म) मैसर्स नवदुर्गा रोलर फ्लोर मिल, जी– 249, द्वितीय फेज, करणी औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर निवासी– मकान नं. 9–10 लोंगोवाल हाउस, अमरसिंपुरा, बीकानेर

9 श्रीमती सरस्वती देवी अग्रवाल पत्नी श्री सोमनाथ अग्रवाल (भागीदार निर्माता फर्म) मैसर्स नवदुर्गा रोलर फ्लोर मिल, जी– 249, द्वितीय फेज, करणी औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर निवासी– मकान नं. 9–10 लोंगोवाल हाउस, अमरसिंपुरा, बीकानेर

10 मैसर्स नवदुर्गा रोलर फ्लोर मिल, जी– 249, द्वितीय फेज, करणी औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर (निर्माता फर्म)

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष – श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी सं. 1 व 2 – स्वयं
3. अप्रार्थी संख्या 3 ता 10 की ओर से – श्री विष्णु प्रकाश भादाणी अधिवक्ता

–: निर्णय :– दिनांक 24.01.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 05.10.2015 को अप्रार्थीपक्ष श्री गेनाराम पुत्र कानाराम जाट(विक्रेता) मैसर्स गाट जनरल स्टोर, जस्सुसर गेट के बाहर, बीकानेर के यहां निरीक्षण के दौरान दुकान में रखी 13 पोली पैक्ड थैलियां सूजी (शिव शक्ति गोल्ड) पोली पैक्ड 500 ग्राम आम जनता को विक्रय वास्ते रखा हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य पदार्थ सूजी (शिव शक्ति गोल्ड) पोली पैक्ड 500 ग्राम की 4 पोली पैक्ड थैलियों विक्रेता द्वारा बताये अनुसार मूल्य 56/– रूपये में खरीद कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विकेता, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

तदन्तर विक्रेता व गवाहान के समक्ष उक्त खरीदशुदा सूजी(शिव शक्ति गोल्ड) हेतु एक जैसे चार लेबल तैयार कर प्रत्येक पर चिपकायें और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन बीकानेर के कोड एवं क्रमांक एबी–568 अंकित कर नियमानुसार प्रत्येक लेबल पर विक्रेता, गवाहान एवं प्रार्थी खादय सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना थैली पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना थैली को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर नियमानुसार हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप प्रत्येक कोड व क्रमांक एबी 568 गोंद से चिपकाया तथा चपड़ी से सील मोहर किया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता, गवाहों एवं स्वयं प्राथी ने हस्ताक्षर कर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य विक्रेता एवं गवाहों ने पढ़कर, सुनाकर, समझाकर एवं सही मानकर उन्होनें हस्ताक्षर किये एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। उक्त पैकेटों में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खादय विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS./2602/Act/ 2015/2179 दिनांक 17.12.2015 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड सूजी (शिव शक्ति गोल्ड)मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड सूजी (शिव शक्ति गोल्ड) मिसब्राण्ड का विकय कर खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 52 के अनुसार खादय पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता 10 की ओर से श्री विष्णु प्रकाश भादाणी अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया। चूंकि अप्रार्थीगणों के निवेदन पर दिनांक 11.07.2017 को प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष रखा गया था किन्तु अप्रार्थीगणों की सहमति नहीं होने पर पुनः प्रकरण नियमित पेशी में रखा गया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी की ओर से श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड सूजी (शिव शक्ति गोल्ड) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खादय विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Sooji (Shiv Shakti Gold) bearing Code No. and Sr. No. AB-568 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravene Regulation 2.2.2(3)(ii) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड सूजी (शिव शक्ति गोल्ड) मिसब्राण्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी खादय सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थीगणों को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

अति. जिला कलक्टर
बीकानेर

Scanned by CamScanner

4. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी की दुकान में रखी सूजी का सैम्पल लेकर कार्यवाही की गयी है। प्रार्थी थोक बाजार से सूजी लाकर अपनी दुकान में बेचते है, जो सूजी दुकान में थी वह पीछे से ही सील युक्त थी अप्रार्थी का कोई दोष नहीं है जैसी थी वही विक्रय की थी। जानबूझ कर ऐसा काम नहीं किया है । अप्रार्थी ने निवेदन किया है कि मेनाराम पुत्र कानाराम व रामरख पुत्र कानाराम को पक्षकार बनाया है, जो एक ही व्यक्ति के नाम होना चाहिये थी दुकान में दोनों भाई बैठते है दोनों को पक्षकार बनाया है। अप्रार्थी भविष्य में खाद्य सामग्री की शुद्धता का पूरा पूरा ध्यान रखेगें तथा नियमों की पालना करने के लिये तत्पर रहेगें। अतः अप्रार्थी के प्रति नरमी अपनाते हुये निस्तारण करने की कृपा करें।

5. अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने परिवाद में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थी के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 के तहत प्रस्तुत परिवाद का जुर्म प्रार्थी पर लागू नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा निर्मित शिवशक्ति फ्रिश गोल्ड सूजी के सैम्पल की गुणवता की जांच के लिए प्रयोगशाला जयपुर से जांच रिपोर्ट 17.12.15 को प्राप्त हुई जिसमें सिर्फ मिसब्राण्ड लिखा गया है । अप्रार्थी द्वारा निर्मित सूजी की गुणवता में कोई कमी नहीं है और जो पोलिथीन की थैली पर अंकन किया था उसी हिसाब से प्रार्थी की पैकिंग थैली व अन्दर भरी हुई सूजी में कहीं पर भी कमी नहीं दर्शायी गई। अप्रार्थी के 500 ग्राम के पैकेट में जो आटा, सूजी, मैदा, मैदा खाद्य पदार्थ भरकर विक्रय हेतु रखा गया था वह माल फूड लैब जयपुर में निर्धारित मापदण्ड अनुसार सही पाया गया है। जबकि परिवादी स्वयं अपने परिवाद में मिसब्राण्ड पैकिंग के बारे में न तो कोई खुलासा किया है और ना ही उसके बारे में कोई सही तथ्य अंकित किये है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)ii के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद में धारा 3(1)(2एफ)(ए)(i)(ए) द्वारा मिसब्राण्ड शास्ति का अपराध जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। जबकि उक्त धारा का अपराध भी कारित नहीं होता है और ना ही जुर्माना की शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। अप्रार्थी ने शिवशक्ति ब्राण्ड मोनाग्राम 500 ग्राम की थैली पर प्रिन्ट है उसे ट्रेड मार्क/डिजाईन कॉपी राईटस अधिकार पंजीबद्ध शुदा है तथा परिवाद में मिथ्या छाप व भ्रामकता जैसे कोई कथन छाया होना प्रकट नहीं किया है। इसलिए उक्त परिवाद मिसब्राण्ड के आधार पर चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः परिवाद सव्यय खारिज फरमाया जावे।

6. अप्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुवे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अभिकथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड सूजी (शिव शक्ति गोल्ड) का सैम्पल विधिक प्रक्रियान्तर्गत विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष लिया गया तथा सील्ड पैक कर उक्त एक नमूना भाग की प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट में सूजी (शिव शक्ति गोल्ड) मिसब्राण्ड पाया गया।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाई गई सूजी (शिव शक्ति गोल्ड) की सैम्पलिंग रिर्पोट में सूजी (शिव शक्ति गोल्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक LS/2602/Act/ 2015/2179 दिनांक 17.12.2015 की रिर्पोट संलग्न है। रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Sooji (Shiv Shakti Gold) bearing Code No. and Sr. No. AB-568 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravene Regulation 2.2.2(3)(ii) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां सूजी (शिव शक्ति गोल्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है।

8. इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 के द्वारा सूजी (शिव शक्ति गोल्ड) (मिथ्या छाप वाली) उत्पादन/वितरण/विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (ii) का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है।

9. अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले खाद्य पदार्थ में सूजी (शिव शक्ति गोल्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण के लिये दोषी होने के परिणामस्वरूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत रूपये **65,000/– (अखरे रूपये पैंसठ हजार मात्र)** की शास्ति आरोपित की जाती है।

10. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

11. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण करने वाले निर्माता के स्तर पर ही मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) खाद्य पदार्थ का विनिर्माण एवं पैकिंग किया जाता है। अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष विनिर्माता अप्रार्थी संख्या 8 ता 10 का ही परिलक्षित होता है । अतः आरोपित शास्ति राशि में से रूपये 30,000/– (अखरे तीस हजार रूपये मात्र) के लिए अप्रार्थी संख्या 8 ता 10 को दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 8 ता 10 प्रत्येक 10–10 हजार रूपये की शास्ति भरने हेतु दायी होगें।

12. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु वितरण एवं विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में वितरकों एवं विक्रेताओं का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ का वितरण एवं विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 विक्रेता एवं वितरक द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य सामग्री सूजी (शिव शक्ति गोल्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का विक्रय/वितरण किया जिसके लिये वे भी समान

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

रूप से धारा 26 (2) (ii) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 8 ता 10 विनिर्माता की शास्ति को घटाने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 (विक्रेता एवं वितरक) की आरोपित शास्ति राशि रूपये 35,000/– यानि प्रत्येक 5–5 हजार रूपये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 (विक्रेता एवं वितरक) भरने हेतु दायी होगा। इस प्रकार आरोपित 65,000– रूपये की शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 8 ता 10 (विनिर्माता) की शास्ति राशि 30,000/– अर्थात प्रत्येक 10–10 हजार रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 (विक्रेता एवं वितरक) की शास्ति राशि रू. 35,000/– अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक 5–5 हजार रूपये की शास्ति अदा करेगें।

13. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

14. निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता 10 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा), बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner